

19-20

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2020

वृत्तिकोटा

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका



India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

WZ-724, पालम गांव, नई दिल्ली-110045

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज-डॉ० गुलाब बाई मीना	1532
ग्रामीण जीवन दर्शन और राष्ट्रीय सेवा योजना: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन-डॉ० सरोज मीणा	1535
कमजोर लोक सेवा प्रदायगी: लोक शिकायत-डॉ० ज्ञान चन्द भारती	1539
सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति सूचना के अधिकार से सम्भव-डॉ० सुशीला देवी मीणा	1547
21वीं सदी में भारत-रूस एवं चीन के मध्य त्रिकोणीय, संबंधों का विश्व व्यवस्था पर प्रभाव-नन्दराम खटीक	1550
भारत के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल का महत्व-प्रभु दयाल जयंत	2659
अवैध कूड़ा निस्तारण (डॉपिंग) का स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव: एक अध्ययन-हिमांशी शर्मा; डॉ० नरेन्द्र सिंह यादव	1557
समकालीन कहानियों में अस्मिता-बोध-कोमल कुमारी	1563
महिलाओं के संबंध में कानून बनाने में राजर्षि शाहू महाराज का योगदान-डॉ० अनिल विट्टल बाविस्कर ●	1566
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण-वास्तविक अथवा भ्रान्ति-डॉ० जोगेन्द्र सिंह खोखर	1569
नवभारत के निर्माण में श्रीमद्भगवद्गीता की अन्तर्दृष्टि-डॉ० सन्तोष देवी	1575
राजस्थान में बढ़ता खाद्य पर्यटन: चुनौतियां एवं संभावनाएं-सुरेश कुमार मीणा	1579

महिलाओं के संबंध में कानून बनाने में राजर्षि शाहू महाराज का योगदान

डॉ० अनिल विठ्ठल बाविसर

सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग प्रमुख, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा, महाराष्ट्र

परिचयात्मकः

भारत को सख्त पुरुष प्रधान संस्कृति में महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार और अन्याय होते थे। महिलाओं का जीवन खूबट प्रथा, विधवा-विवाह प्रतिबंध, रिझा प्रतिबंध, बाल विवाह जैसी पारंपरिक परंपराओं से पूरी तरह से बंधा हुआ था। इस पर से परदा उठाने का काम अनेक समाज सुधारकों ने किया। इसमें महत्त्वा ज्योतिराव फुले, आगरकर शामिल थे। महर्षि कर्वे ने भी स्त्रियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। महत्त्वा फुले ने महिला शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की। दरअसल यह महिला मुक्ति आंदोलन था। राजर्षि शाहू महाराज ने इस आन्दोलन को प्रोत्साहित किया। लेकिन महिलाओं के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। समाज और परिवार द्वारा महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए। राजर्षि शाहू महाराज ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कानून पारित किए।

1) विधवा पुनर्विवाह अधिनियमः

जुलाई 1997 में, शाहू महाराज ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह में अनेक कठिनाईयाँ थीं। इसे कानून के तहत हटाया गया था। इसने महिलाओं के खिलाफ अन्याय के प्रतिरोध का एक साधन प्रदान किया। शाहू महाराज के अनुसार विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह जनस्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वर्ष 1919 में कानपुर की कुर्मी क्षत्रिय परिषद ने कुर्मी क्षत्रियों में विधवा विवाह देखकर सलाह व्यक्त किया। क्षत्रिय, जाति, भूणा, व्यक्तिचार आदि। उन्होंने भरोसा जताया कि वह जांच से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्त्रीन सिस्टम की भी सार्वजनिक रूप से तिरा की। भारतीयों में यह स्पष्ट मत था कि पडदा प्रथा, विधवा विवाह पर रोक और किसी के साथ भोजन न मिलाना प्रगति के लिए हानिकारक है। कई क्षत्रिय महिलाओं ने भी राज्य का रथ चलाया है। युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ाई लड़ी जाती है। अगर वे पडदा पहनते हैं तो यह संभव नहीं होता। शाहू महाराज महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय से बहुत नाराज थे। शाहू महाराज ने समाज में अंतर्जातीय विवाह कानून बनाकर पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता को वकालत करते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया था।

2) अंतर्जातीय विवाह अधिनियमः

यह अधिनियम 12 जुलाई 1919 को कोल्हापुर जिले में "विवाह अधिनियम" के रूप में प्रख्यापित किया गया था। उस समय अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक विवाह अशुभ थे क्योंकि वे शास्त्र सम्मत नहीं थे। जो लोग शादी करने की हिम्मत करते थे, खासकर महिलाएं, उन्हें बड़ा खतरा होता था। महाराजा ने एक कानून बनाया जिसने इस तरह के विवाहों को वैध बनाया और उन लोगों को कानूनी स्वतंत्रता दी जो विवाह को पंजीकृत करना चाहते थे, धार्मिक बाधाओं को तोड़ते हुए। यह समाज सुधार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था।

लगभग इसी समय, वर्ष 1998 में, विट्टलभाई पटेल ने केंद्रीय विधानमंडल में अंतर्जातीय विवाह को वैध बनाने के लिए एक विशेषक पेश किया। यह बिल भारत के इतिहास में 'पटेल बिल' के नाम से जाना गया। सनातन्य के नेता डॉ. शंकराचार्य ने इस विशेषक का समर्थन किया। कुर्ताकोटि का घोर विरोध हुआ, लेकिन ए. मदनमोहन मालवीय जैसे ने भी अपना विरोध दिखाया। हालाँकि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, योगी अरविंदी, लाला लाजपतराय जैसे कई महापुरुषों ने इसका समर्थन किया। महाराष्ट्र में, गैर-ब्राह्मण दलों की मंडलियों ने इस विशेषक को अपनाया। पटेल विशेषक के रूप में रूढ़िवादी सुधारकों के बीच संघर्ष चरण सीमा पर पहुंच गया। इस पृष्ठभूमि में शाहू महाराज का यह विधान कई मायनों में महत्त्वपूर्ण है।

इस अधिनियम के तहत, विवाह पंजीकरण के समय दूल्हे की आयु 18 वर्ष और दुल्हन की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, यह प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही, 28 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी दुल्हन से शादी करने के लिए माता-पिता की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले वर्ष 1891 में, केंद्रीय विधानमंडल ने 'सहमति की आयु विशेषक' पारित किया और विवाह के समय दुल्हन की आयु को कम से कम 12 वर्ष तक सीमित कर दिया। इस कानून पर कड़ी आपत्ति लेते हुए यह हिंदू धर्म पर हमला है ऐसा तिलक की पहल पर लिया गया था। दुल्हन की उम्र 14 वर्ष होने के लिए कोल्हापुर ने फिर भी कानून बाणाने की घोषणा कर दी थी।

उसके आधार पर, हिंदुओं और जैनियों को बिना जाति प्रतिबंध के किसी भी धर्म के लोगों से शादी करने की अनुमति थी। आपस में उनकी शादी कानूनी कानून में एक शर्त थी कि पुरुष ने 18 साल पूरे किए और महिला ने 14 साल पूरे किए। फिर 1891 में अंग्रेजों ने एक्ट बनाया। उसमें 12 वर्ष की आयु (1566)

दूसरे नियम के अनुसार, जोगतिनी देवदासी किसी भी स्थिति में पैतृक परिवार या किसी अन्य की उत्तराधिकारी नहीं है। प्रावधान किया गया था कि कुटुम्ब अधिकार अर्जित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें भगवान के लिए छोड़ दिया गया था। वर्तमान अधिनियम के उद्देश्य जोगतिनी का मतलब उन महिलाओं को हतोत्साहित करना था जो इस दृश्य प्रथा से देवदासी बनना चाहती थीं। भगवान के नाम पर तलाक देने वाली बेटियों का पैतृक घर से कोई संबंध नहीं था। साथ ही विरासत का अधिकार भी नहीं था। शाहू महाराज ने देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया और इन महिलाओं को अपने माता-पिता से उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। इसलिए देवदासी प्रथा की नींव ही नष्ट हो गई। इस अधिनियम की अंग्रेजी संहिता में शाहू महाराज ने उद्देश्य की व्याख्या की है। चूँकि मंदिर में जोगतिन, मुरली, देवदासी के अधिकार रद्द कर दिए गए थे और उनके दहेज को अमान्य कर दिया गया था, इसलिए उन्हें उनकी कुप्रथाओं से मुक्त करने और उन्हें एक 'स्वतंत्र' जीवन देने के लिए यह कानून बनाया गया था।

निष्कर्ष:

शाहू महाराज ने अपने शासन काल में महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून पारित कर अपने प्रगतिशील और लोक कल्याणकारी शासन का प्रमाण दिया है। ऐसे कानून पास होने का मतलब यह नहीं है कि समाज में महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो जाएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसके समाधान के लिए रमहिला आयोग का गठन किया गया, विभिन्न 'समितियों' का गठन किया गया। प्रत्येक कार्य स्थल पर 'आंतरिक शिकायत निवारण समिति' का गठन अनिवार्य किया गया। लेकिन फिर भी यह राशि कम होती नहीं दिख रही है। शाहू महाराज द्वारा अपने समय में बनाए गए कानूनों का बड़ा सामाजिक महत्व है। यहां तक कि उस समय उन्नत ब्रिटिश शासन की स्थिति में भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले ऐसे कानून नहीं थे और अंग्रेजों को शासन करना था, इसलिए वे परंपरावादियों के क्रोध का शिकार नहीं होना चाहते थे। शाहू महाराज ने उन महिलाओं के लिए कानून पारित करके समाज को मुक्त करने का प्रयास किया, जो पारिवारिक उत्पीड़न, जैसे कि देवदासी, और समाज के विश्वासघाती रीति-रिवाजों के अधीन थीं। आजादी के बाद के दौर में कई आंदोलन कानून बनाए गए। लेकिन लगभग 500 साल पहले ऐसी ही महिलाओं उद्धार के लिये शाहू महाराज का कि थी। सचमुच शाहू महाराज दूरदर्शी राजा थे।

संदर्भ:

- 1) पवार, च. (संपादित) (2001) राजर्षि शाहू स्मारक ग्रंथ (प्रथम संस्करण), प्रकाशक: निदेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर।
- 2) पवार च. (संपादित) (2001) राजर्षि शाहू छत्रपति: विविध साहित्य (खंड 3), खंड-11 अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह और पंजीकरण प्रक्रिया को मान्यता देने वाला अधिनियम, प्रकाशक: निदेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। ईसा पूर्व 1015-2020।
- 3) पवार च. (संपादित) (2001) राजर्षि शाहू छत्रपति: विविध साहित्य (खंड 3) खंड 11 महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम, प्रकाशक: निदेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। ईसा पूर्व 1021-1023।
- 4) पवार च. (संपादित) (2001) - राजर्षि शाहू छत्रपति: विविध साहित्य (खंड 3), खंड-11 विभिन्न जाति धर्मों के लिए कोल्हापुर का कदीमाद अधिनियम, प्रकाशक: निदेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। ईसा पूर्व 1024-1028
- 5) पवार च. (संपादित) (2001) - राजर्षि शाहू छत्रपति: विविध साहित्य (खंड 3), खंड 11 अनौरस संतान और जोगतिनी के संबंध में कानून, प्रकाशक: निदेशक महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, भारती प्रेस, कोल्हापुर। ईसा पूर्व 2011-1032

Volume 10 (Special Issue 4)
January, 2020

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Refereed Journal

ISSN - 2230 - 9578



4.270

संशोधन पद्धती Research Methodology

२६ जानेवारी २०२०

भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त...

Editor : Dr. R.V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-10/1/1, Plot No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102
Email - info@jrdrb.com Visit - www.jrdrvb.com

62	इंशायणी शानेभ्वर संराणे	संशोधन पद्धती : स्वरूप, व्याप्ती व टप्पे	210-211
63	प्रा.डॉ. अनिल विठ्ठल बाविसकर	"तथ्य सकलनाची तंत्रे"	212-215
64	प्रा.डॉ. सुधाकर नारायण भालेराव	सामाजिक शास्त्र, साहित्य संशोधन : तुलनात्मक पद्धती	216-218
65	प्रा.डॉ. मधुकर आ. देसले	"सामाजिक संशोधनातील मुलाखत तंत्राचे फायदे-तोटे एक समाजशास्त्रीय अभ्यास"	219-221
66	प्रा. डॉ. शकुंतला एम. भारंबे	मराठी वाङ्मयातील संशोधन क्षेत्र	222-224
67	प्रा.डॉ. भामरे नानाजी दगा	इतिहासातील संशोधनाच्या पायऱ्या	225-229
68	प्रा.डॉ. सो. सुषमा प्रमोद पाटील	"भारतात सामाजिक संशोधनाची आवश्यकता व उपयुक्तता"	230-232
69	प्रा.डॉ. रविंद्र दगाडू वाघ प्रकाश एकनाथ वाघ	सामाजिक संशोधनात अहवाल लेखनाचे महत्त्व	233-235
70	प्रा.डॉ. अरुण उखा पाटील	"सामाजिक संशोधनातील मुलाखत तंत्राचे फायदे तोटे एक समाजशास्त्रीय अभ्यास"	236-238
71	श्रीमती सुलक्षणा किसनराव भरगंडे	संशोधन अहवाल लेखन पद्धती : एक अभ्यास	239-241
72	Mr. Bitu Shivaji Molane Dr. Wangunjare S. A.	सोलापूर विद्यापीठातील अॅथलेटिक्स खेळाडूंच्या शारीरिक क्षमतांचा चिकित्सक अभ्यास	242-244
73	प्रा.डॉ. डी.डी. राठोड	"संशोधनाची रूपरेषा आणि गृहितके"	245-246
74	प्रा.डॉ. राजधर चैत्राम बेडसे	संशोधनातील प्रश्नावलीचे फायदे व तोटे	247-249
75	Dr. Jagdish J. Patil	How To Write Research Report ?	250-251
76	Dr. Pramod Bhumbe	Research Methodology in Social Work	252-253
77	Vijay Bajirao Jadhav, Dr. Anil M. Chaudhari	Research Methods in context of LIS	254-256
78	Jadhav S.L.	Writing the Research Report	257-259
79	प्रा. एम.जी. वसावे	अनुसन्धान में निदर्शन पद्धति के गुण एवं दोष	260-262
80	प्रफुल ईश्वरराव ठोके	नमुना निवडीचे तंत्र व प्रकार	263-268
81	प्रा. राधेश्याम शं. ठाकरे	संशोधनाची उद्दिष्टे व महत्त्व	269-270
82	श्री. सुनिल छोट्टे पवार प्रा.डॉ.संजय जिभाऊ पाटील	परिचय खान्देशातील संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आचार्य प्र.के.अत्रे यांचे प्रबोधन	271-274

"तथ्य संकलनाची तंत्रे"

प्रा. डॉ. अनिल विठ्ठल बाविसकर (सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग)

श्री. डॉ. अनिल विठ्ठल बाविसकर (सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग)
विद्या विकास मंडळाचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा जि. नंदुरबार

● प्रस्तावना -

संशोधन ही एक सरचनात्मक चोकरणी आहे जी सामान्यतः उपयोजित नवीन ज्ञानाची निर्मिती करण्यासाठी आणि समस्या सोडविण्यासाठी स्वीकृत शार्य्याय पद्धतींचा वापर करते. संशोधन या प्रयत्नाला अनेक अर्थ आहेत आणि त्यांचे तसेतसे व्याख्या प्रत्येक विद्याशाखेनुसार आणि तज्ज्ञांनुसार वेगळी असते. संशोधन हे फक्त कौशल्यांचा संघ नाही तर तो विचार करण्याचा मार्ग आहे. या विचारांच्या चौकटीत सामान्यतः निरीक्षण, अन्वेषण, निष्कर्ष, अनुमाने, सरावार्थां गुणवत्ता, कौशल्य, तर्कबुद्धी, यथायत्न, परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता यांचे सखोल ज्ञान मिळवता येते. संशोधन हे विचार, चोकरस दृष्टिकोन विकसित करते. संशोधन तार्किक आणि बुद्धिप्रामाण्याच्या विचारांचा मार्ग विकसित करते आणि आपल्या दैनंदिन परिस्थितीतील प्रत्येक पैलूंचे चिकित्सकपण परीक्षण करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. संशोधनातून प्रज्ञांचे असे मिळविण्यासाठी माहिती संकलित करणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि माहितीचा अर्थ लावण्याची प्रक्रिया होय. संशोधन म्हणून त्याला दर्जा प्राप्त होण्यासाठी त्यात काही निश्चित वैशिष्ट्ये असावी लागतात आणि काही अपेक्षा पूर्ण व्हावी लागतात. शक्यतेवर ते निवृत्त, पद्धतशीर, ताडुर, वेद्य आणि पुनर्तपासणी करण्याजोग, अनुभवजन्य आणि चिकित्सक असावे. संशोधनाच्या शास्त्रीय पद्धतीत पद्धतशीर निरीक्षण, वर्गीकरण आणि तथ्यांचे संकलन यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

● तथ्य संकलनाच्या पद्धती -

तथ्य संकलनाच्या बहुतेक पद्धती अभ्यासासाठी वापरू शकता ज्यांचे वर्गीकरण गुणात्मक, संख्यात्मक किंवा संमिश्र पद्धतीत होते. वस्तुतः एखाद्या अभ्यासासाठी तथ्य संकलित करावची पद्धत मांड्या प्रमाणात अभ्यासाच्या वर्गीकरणावरून निश्चित होते. यातील फरक हा मुख्यतः चौकशी मार्गाचे तत्त्वज्ञान, माहिती संकलित करण्यातील मार्ग हे रचना यात स्वातंत्र्य आणि लवचिकता, आणि संशोधन प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी संशोधक म्हणून असलेली मोकळे आणि सखोल विचार हा आहे. संख्यात्मक संशोधनात ही वंघने पाळली जातात, परंतु गुणात्मक संशोधन मात्र याला विशेष करते. ही वंघने किंवा लवचिकता संमिश्र पद्धतीतील अभ्यासात विशेष पद्धती कशा आणि का अवलील्ल्या जात आहेत यावर अवलंबून आहे. संख्यात्मक, गुणात्मक किंवा संमिश्र पद्धतीने वर्गीकरण हे खालील प्रश्नांच्या उत्तरावर अवलंबून आहे.

जर अनुभवाधारित तात्विक ज्ञानमीमांसा स्वीकारली असेल, असंरचित आणि लवचिक चौकट वापरून माहिती संकलित केली असेल, तथ्य संकलन प्रक्रिया करताना मुद्दे ओळखले असतील, माहिती वर्णनात्मक किंवा निवृदत स्वरूपात नोंदविली असेल, वर्गीकृत व वर्णनात्मक पद्धतीने विश्लेषण केले असेल, अनुमाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने संप्रेषित केले नसतील तर, ही संशोधन प्रक्रिया गुणात्मक म्हणून ओळखली जाते. अन्यथा ती संख्यात्मक असते. जर एकापेक्षा जास्त म्हणजे संख्यात्मक किंवा गुणात्मक किंवा दोन्ही पद्धती नोंदविल्या असतील तर ती गुणात्मक माहिती असते, परंतु ती जर वर्गीकृत चौकटीत किंवा वर्णनात्मक पद्धतीने नोंदविली असतील तर ती संख्यात्मक माहिती असते. परंतु ती जर चौकटीत किंवा सारणीवर नोंदविली असतील तर ती संख्यात्मक माहिती म्हणून तिचे वर्गीकरण होईल आणि गुणात्मक व संख्यात्मक अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर म्हणजे वर्गीकरणाची संमिश्र पद्धती होय. याचप्रकारे मुलाखतीद्वारे तथ्य संकलित करताना, असंरचित मुलाखत, वर्णनात्मक किंवा निवृदनात्मक स्वरूपात नोंदविली गेल्यास ती गुणात्मक पद्धती असते. परंतु संरचित मुलाखतीत जर माहिती प्रतिसादात्मक गटात विकसित केली असेल किंवा गट जर वर्णनात्मक प्रतिसादातून विकसित केले असतील आणि त्यांची गणना केली असेल तर ती संख्यात्मक पद्धती असते. विशिष्ट लोकांचा गट, मॉडेल इतिहास, वर्णनात्मक लेखन, गट-मुलाखती हे नेहमीच गुणात्मक स्वरूपाचे असते. तथ्ये कशाप्रकारे संकलित केली होती. त्याचे विश्लेषण कशा प्रकारे गेले आणि अनुमाने कशा प्रकारे संप्रेषित केली होती या तीन बाबींवर गुणात्मक आणि संख्यात्मक दृष्टिकोनातील फरक अवलंबून असतो.

माहिती, विश्वास किंवा मते काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. प्रतिसादकाची मुलाखत घेताना संशोधकास प्ररचना व आशय निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असते. प्रश्नात शब्दयोजना कशी करावची, प्रश्न कशा प्रकारे विचारायचे प्रश्नांचा क्रम कसा असणार आहे याचेही स्वातंत्र्य असते. प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया ही एकतर लवचिक असते. मुलाखतकार म्हणून अन्वेषणाशीन समस्येभोवती मनात जसे प्रश्न येतील तशी त्याची रचना करता येते. प्रश्न विचार प्रक्रिया अलवचिक असते ज्यात पूर्वाच तयार करून ठेवलेले प्रश्न, त्यांचे शब्द, त्यांची रचना, क्रम आणि ते कशा विचारायचे यासह काटेकोरपणे विचारावे लागतात. मुलाखत पद्धती मुख्यतः दोन उपप्रकारात विभागली जाते. i) असंरचित मुलाखती व ii) संरचित मुलाखती.

i) असंरचित मुलाखती - असंरचित मुलाखती जमेर्वा बाजू म्हणजे रचना, आशय, प्रश्नांतील शब्दांची योजना आणि सगळ्यात असलेले पूर्ण स्वातंत्र्य होय. कोणतेही प्रश्न विचारायला मोकळीक, परिस्थितीला समर्पक रचनेचा वापर, कुठले वापरायचे, प्रतिसादकांना प्रश्न कसे स्पष्ट करून सांगायचे याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य मुलाखतीदरम्यान संशोध असते.

असंरचित मुलाखत ही घटना, परिस्थिती, प्रश्न किंवा समस्या याबद्दल गहन, विस्तृत आणि सखोल अन् करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी आहे. यातून सखोल आणि विविध माहिती मिळते, जी वैविध्यता आणि मि ओळखण्यासाठीही अत्यंत योग्य आहे. तरीही, उच्च प्रतीचे कौशल्य असल्याशिवाय अशा मुलाखती घेता येत नाहीत. हा र तोटा आहे. असंरचित मुलाखत ही गुणात्मक आणि संख्यात्मक अशा दोन्ही संशोधन पद्धतीत प्रचलित आहे. प्र मिळालेल्या प्रतिसादातून प्राप्त झालेल्या माहितीचा उपयोग तुम्ही कसा करण्याची शक्यता आहे. प्रश्न प्रतिसाद हे वर्णन करणारे, शब्द न शब्द जसाच्या तसा वापरलेले आणि मुद्द्यांमध्ये लिहिण्याच्या ओघात तार्किक क्रम एकत्रित करता वेक शकतात. असंरचित मुलाखती ह्या प्रामुख्याने गुणात्मक संशोधनात योजल्या जातात.

ii) संरचित मुलाखत - संरचित मुलाखतीमध्ये संशोधक निर्धारित मुलाखतीत विशेष प्रकारे ठरवल्यानुसार पूर्वाच निश्चि केलेले प्रश्न, तेच शब्द वापरून, त्याच क्रमाने विचारत असतो. निर्धारित मुलाखत ही मुक्त-मर्यादा किंवा बंदीस्त प्रश्नां घापरलेल्या शब्दांची प्रमाणबद्धता, अर्थ आणि स्पष्टीकरण याआधारे संपूर्णपणे पूर्वाचाचणी घेतलेली, मुलाखतकाराक येतली जाते. यात लिखित स्वरूपातील प्रश्नांची यादी असते. निर्धारित संशोधन हे तंत्र आहे, जे तथ्य संकलनासाठी वापर जाते आणि मुलाखत घेणे ही तथ्य संकलनाची पद्धत आहे. संरचित मुलाखतीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे यातून एकसारखे माहिती मिळते व प्राप्त तथ्यांची खात्रीने तुलना करता येते. संरचित मुलाखतीसाठी असंरचित मुलाखतीपेक्षा क्रम कौशल्याची गरज असते.

३) प्रश्नावली - प्रश्नावली ही लिखित प्रश्नांची एक यादी असते, ज्यात प्रतिसादकांनी उत्तरे नोंदवावची असतात. प्रतिसाद प्रश्न वाचते, त्याचा अपेक्षित अर्थ लावतो आणि नंतर उत्तरे लिहितो. नियोजित मुलाखत आणि प्रश्नपत्रिका या दोन्हीत एकसारखे अर्थ लावतो आणि नंतर उत्तरे लिहितो. नियोजित मुलाखत आणि प्रश्नपत्रिका या दोन्हीत असातो. हा फरक, दोन्ही पद्धतीतील सामर्थ्य व त्रुटी पाहण्यासाठी आणि तथ्य संकलित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आनुषंगिक उपयोगाला आहे.

प्रश्नावलीत, प्रतिसादकांना प्रश्नांचा अर्थ समजावून सांगण्यासाठी आणि तथ्य संकलित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या समजायला सोपी अशी असायला हवी. त्याची मांडणी सोपी, वाचने समजायला सोपा अशी असावी. प्रश्नपत्रिकेत, संवेदनशीलतेची वाचने टाळटाळ करेल, अशा प्रश्नांची असायला हवी. त्याची मांडणी सोपी, वाचने समजायला सोपी अशी असायला हवी. त्याची मांडणी सोपी, वाचने

मार्गदर्शक, विश्वास किंवा भते काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. प्रतिसादकाची मुलाखत घेताना संशोधकास प्रश्नांचा रचना व आशय निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असते. प्रश्नात शब्दयोजना कशी करावयाची, प्रश्न कशा प्रकारे विचारायचे, प्रश्नांचा क्रम कसा असणार आहे याबद्दल स्वातंत्र्य असते. प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया ही एकतर लवचिक असते, किंवा मुलाखतकार म्हणून अन्वेषणाशीन समस्येभोवती मनात जसे प्रश्न येतील तशी त्याची रचना करता येते. प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया अलवचिक असते ज्यात पूर्वीच तयार करून ठेवलेले प्रश्न, त्यांचे शब्द, त्यांची रचना, क्रम आणि ते कशाप्रकारे विचारायचे यासह काटेकोरपणे विचारावे लागतात. मुलाखत पद्धती मुख्यतः दोन उपप्रकारात विभागली जाते. 1) अर्धवर्णित मुलाखती व ii) संरचित मुलाखती.

i) असंरचित मुलाखती - असंरचित मुलाखती जमेची बाजू म्हणजे रचना, आशय, प्रश्नांतील शब्दांची योजना आणि क्रम या सगळ्यात असलेले पूर्ण स्वातंत्र्य होय. कोणतेही प्रश्न विचारायला मोकळीक, परिस्थितीला समर्पक रचनेचा वापर, शब्द कुठले वापरायचे, प्रतिसादकांना प्रश्न कसे स्पष्ट करून सांगायचे याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य मुलाखतीदरम्यान संशोधकास असते.

असंरचित मुलाखत ही घटना, परिस्थिती, प्रश्न किंवा समस्या याबद्दल गहन, विस्तृत आणि सखोल अन्वेषण करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी आहे. यातून सखोल आणि विविध माहिती मिळते, जी वैविध्यता आणि भिन्नता तोटा आहे. असंरचित मुलाखत ही गुणात्मक आणि संख्यात्मक अशा दोन्ही संशोधन पद्धतीत प्रचलित आहे. प्रश्नांना मिळालेल्या प्रतिसादातून प्राप्त झालेल्या माहितीचा उपयोग तुम्ही कसा करण्याची शक्यता आहे. संख्यात्मक संशोधनात प्रतिसाद हे वर्णन करणारे, शब्द न् शब्द जसाच्या तसा वापरलेले आणि मुद्द्यांमध्ये लिहिण्याच्या ओघात तार्किक क्रमाने, एकात्रित करता येऊ शकतात. असंरचित मुलाखती ह्या प्रामुख्याने गुणात्मक संशोधनात योजल्या जातात.

ii) संरचित मुलाखत - संरचित मुलाखतीमध्ये संशोधक निर्धारित मुलाखतीत विशिष्ट प्रकारे ठरवल्यानुसार पूर्वीच निश्चित केलेले प्रश्न, तेच शब्द वापरून, त्याच क्रमाने विचारत असतो. निर्धारित मुलाखत ही मुक्त-मर्यादा किंवा बंदिस्त प्रश्नांची, एकात्मकांसमोरच्या आंतर्क्रियेसाठी वापरण्याकरिता, कदाचित समोरसमोर, दूरध्वनीद्वारे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे घेतली जाते. यात लिखित स्वरूपातील प्रश्नांची यादी असते. निर्धारित संशोधन हे तंत्र आहे, जे तथ्य संकलनासाठी वापरले जाते आणि मुलाखत घेणे ही तथ्य संकलनाची पद्धत आहे. संरचित मुलाखतीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे यातून एकसारखी माहिती मिळते व प्राप्त तथ्यांची खात्रीने तुलना करता येते. संरचित मुलाखतीसाठी असंरचित मुलाखतीपेक्षा कमी कौशल्याची गरज असते.

३) प्रश्नावली - प्रश्नावली ही लिखित प्रश्नांची एक यादी असते, ज्यात प्रतिसादकांनी उत्तरे नोंदवायची असतात. प्रतिसादक प्रश्न वाचतो, त्याचा अपेक्षित अर्थ लावतो आणि नंतर उत्तरे लिहितो. नियोजित मुलाखत आणि प्रश्नपत्रिका या दोन्हीत फरक एवढाच आहे की संरचित मुलाखतीत मुलाखत घेणारा प्रश्न विचारतो, आवश्यक असल्यास त्यांचे स्पष्टीकरण देतो आणि प्रतिसादकांच्या उत्तरांच्या नोंदी मुलाखत अनुसूचीवर करतो, तर प्रश्नावलीत प्रतिसादक स्वतःच प्रतिसाद नोंदवत असतो. हा फरक, दोन्ही पद्धतीतील सामर्थ्य व त्रुटी पाहण्यासाठी आणि तथ्य संकलित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आनुवंशिक उपयोगात आहे.

प्रश्नावलीत, प्रतिसादकांना प्रश्नांचा अर्थ समजावून सांगण्यासाठी कुणी नसतं म्हणून प्रश्नांची रचना, स्पष्ट, समजायला सोपी अशी असायला हवी. त्याची मांडणी सोपी, वाचताना डोळ्यांना सुखावणारी आणि प्रश्नांचा क्रम टाळाटाळ करेल, अशा प्रश्नांची अभ्यासातील समर्पकता संवादात्मक प्रस्तावनेद्वारे स्पष्ट करावी. प्रश्नावली अनेक मार्गांनी वापरली जाऊ शकते. प्रश्नावली वापराची तुम्ही निवडलेली पद्धत ही तुम्ही अभ्यासासाठी निवडलेल्या लोकसमुदायातील प्रतिसादकांच्या तपासणीतील सोपेपण आणि अभ्यासात ते कशा प्रकारे सहभागী होऊ शकतील याविषयी संशोधकांचे मत यावर अवलंबून असते. प्रश्नावलीत टपाल प्रश्नावली, सामुदायिक प्रश्नावली व ऑनलाईन प्रश्नावली असे वेगवेगळे प्रकार असतात. ते पुढीलप्रमाणे.

ii) त्याच प्रश्नावरी - माहिती संकलित करण्याची एक सामान्य पद्धत म्हणजे ज्या प्रतिसादकर्त्यांकडून माहिती झालेली असेल अशा लक्षात प्रश्नपत्रिका टपालाने पाठवणे. टपालाने प्रश्नपत्रिका पाठवताना त्यासोबत एक सलग्न अक्षरपत्र मागण्यास सांगितले. अक्षरपत्र पतिसाद ही या पद्धतीची मुख्य अक्षरपत्र होय. जर प्रतिसादाचे अतिशय अल्प असेल, तर त्याची अनुमति देण्यासाठी लोकसमुदायावर कमी प्रमाणात लागू पद्धत.

iii) सांख्यिक प्रश्नावली - प्रश्नपत्रिकेचा वापर करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे एकत्र आलेला संपूर्ण हा होय. जसे की, जलसिंध विद्यार्थी, कार्यक्रमात आलेले लोक, कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्ती किंवा एका जागी एकत्र आलेले लोक, अशा ठिकाणी पतिसादाचे प्रमाण खूप जास्त असते. यात फार कमी लोक अभ्यासात सामील व्हायला नकार देताना, त्याचबरोबर अभ्यासाधीन लोकसंख्येशी वैयक्तिक संबंध आल्याने त्यांना अभ्यासाचा हेतू, समर्पकता आणि महत्त्व स्पष्ट करता येते. पतिसादकांच्या मनात जर काही शंका असतील तर त्यावर स्पष्टीकरण देता येते. तथ्य संकलनाचा हा यगळ्यात उत्तम मार्ग आहे. त्यातून भरघोस जास्त प्रतिसाद मिळण्याची आणि टपालखर्च वाचण्याची खात्री असते.

iv) ऑनलाईन प्रश्नावली - संश्लेषण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे संश्लेषण प्रश्नासाठी माहिती संकलित करण्याचा संगणकीकृत प्रश्नपत्रिका हा सामान्यतः वापरला जाणारा मार्ग उदयास आला आहे. प्रश्नपत्रिका स्वतः देणे, सामुदायिक वाटप करणे किंवा वैयक्तिक टपालाने पाठवणे याऐवजी ती संभाव्य प्रतिसादकांसाठी वेबसाइटवर किंवा ई-मेलद्वारे तसेच मोबाईलवरूनही प्रत्येकीकृत पाठवू शकता. संगणकीकृत प्रश्नपत्रिकेद्वारे मिळालेल्या तथ्याचे योग्य प्रणालीद्वारे विश्लेषण करता येते. अशा प्रकारच्या अनेक प्रणाली उपलब्ध आहेत. यातून संश्लेषणासाठी योग्य प्रणाली निवडणे आवश्यक आहे.

ii) दुय्यम स्त्रोतांतून तथ्य संकलन - आवश्यक असलेली तथ्ये आधीच कोणीतरी संकलित केलेली असतात, संख्या नित्यक्रमानुसार ठेवत असलेल्या नोंदी, शासकीय किंवा निमशासकीय प्रकाशने, पूर्व संश्लेषण, व्यक्तिगत नोंदी, प्रसारमाध्यमे यातून अध्ययनासाठी मिळालेल्या माहितीस दुय्यम स्त्रोत असे म्हणतात. या प्राप्त माहितीचा सरांश काढून, त्यावर विशिष्ट प्रकिया करून तथ्य संकलन केले जाते. दुय्यम स्त्रोतांमध्ये मुख्यतः सरकारी प्रकाशने, विविध अहवाल, सांख्यिकी नोंद, आर्थिक अंदाज, लोकसंख्यात्मक माहिती, पूर्वीचे संश्लेषण, जनगणना, व्यक्तिगत नोंदी, सेवेतील नोंदी, ऐतिहासिक नोंदी, वर्तमानपत्रे, मासिक, इंटरनेट इ.चा समावेश असतो.

सारांश - तथ्य संकलनाच्या तंत्रांचा अभ्यास केल्यास असे निदर्शनास येते की, एखादा प्रसंग, घटना, समस्या किंवा लोकसमुदाय यांच्याविषयीची माहिती एकतर प्राथमिक स्त्रोत किंवा दुय्यम स्त्रोतांतून प्राप्त होते. गुणात्मक आणि संख्यात्मक संशोधन अभ्यासात तथ्य संकलनाच्या पद्धतींची एकमेकांत सरमिसळ झालेली असते. यातील फरक हा माहिती मिळविण्याच्या, नोंदविण्याच्या, तिचे विश्लेषण करण्याच्या पद्धतीत असतो. तथ्य संकलनाच्या विशिष्ट पद्धतीची निवड ही माहिती संकलनाचे हेतू, संकलित करीत असलेल्या माहितीचा प्रकार, उपलब्ध संसाधने, माहिती संकलनाच्या एक विशिष्ट पद्धतीतील कोणत्या आणि ज्या समुदायाचा अभ्यास केला जातो त्यांची सामाजिक, आर्थिक, लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्ये यावर अवलंबून असतो. प्रत्येक पद्धतीचे फायदे व तोटे असतात. तथ्य संकलनासाठी अचूक पद्धतीची निवड करण्यातूनच माहितीच्या गुणवत्तेची खात्री मिळते. गुणात्मक तथ्य संकलनातूनच नवीन संकल्पना व परिपूर्ण संश्लेषणाची निर्मिती होते. संदर्भ -

- १) रणजित कुमार - संश्लेषण पद्धती, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा. लि., नवी दिल्ली, २०१७
- २) डॉ. सुधीर द्रोघककर, प्रा. विवेक अलोणी - सामाजिक संश्लेषण पद्धती, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, चतुर्थ आवृत्ती जानेवारी २००७
- ३) प्रा. टी. ना. घाटाळे - समाजशास्त्रीय संश्लेषण तत्व व पद्धती, मंगेश प्रकाशन, नागपूर
- ४) डॉ. गंगाधर वि. कायदे पाटील - संश्लेषण पद्धती, चैतन्य पब्लिकेशन, नाशिक
- ५) डॉ. पु. ल. भांडारकर - सामाजिक संश्लेषण पद्धती, महाराष्ट्र विद्या. ग्रंथ निर्मिती मंडळ, नागपूर १९९१
- ६) Mathur, S. S. - A Sociological Approach in Indian Education, Vinod Pustak Mandir, Agra, १९७१

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2020 मूल्य ₹1500

इंडिका

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

Impact Factor : 5.051

शैक्षिक कालीन गुरुकुल विद्यालयीय प्रणाली तथा आधुनिक विद्यालयीय प्रणाली के सहशैक्षिक पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन-आकांक्षा सिन्हा; प्रो० (डॉ०) रजनी रंजन सिंह	2583
विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके अर्द्धमस्तिष्कीय प्रभुत्व के सन्दर्भ में अध्ययन-आसुतोष कुमार तिवारी; प्रो० (डॉ०) रजनी रंजन सिंह	2588
शिक्षार्थियों के शैक्षिक मूल्यांकन में समावेशन की स्थिति-अभिषेक कुमार; प्रो० (डॉ०) रजनी रंजन सिंह	2593
ज्ञान साहित्य और कला में प्रतिबिम्बित सामाजिक एवं आर्थिक जीवन: एक अवलोकन-राजू यादव	2600
हर्षण उपन्यास में स्त्री जीवन का यथार्थ: एक दृष्टि-डॉ० समर जीत सुमन	2605
बाल अपचारियों से सम्बन्धित नीतियाँ-डॉ० अमृता श्रीवास्तव	2609
अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ का अभियान एवं रानी पद्मिनी-डॉ० शिवकुमार मिश्रा	2613
भारत में मानवाधिकार: न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता की भूमिका-तरुषी पांडेय	2618
भारतीय समाज में जातीय व्यवस्था: एक विवेचना-डॉ० शिखा सक्सेना	2623
दुग्ध उत्पादन में दुग्ध सहकारी संघ चम्पावत की भूमिका का अध्ययन-शंकर नाथ गोस्वामी; डॉ० उमेश चन्द्र आर्या	2628
छत्तीसगढ़ के मानव विकास सूचकांक का विश्लेषणात्मक अध्ययन-डॉ० रश्मि पाण्डेय	2635
अफगान-शांति समझौता एवं चुनौतियाँ-सुबोध मणि त्रिपाठी	2639
स्थानीय प्रशासन के नवीन आयाम एवं चुनौतियाँ-डॉ० श्याम किशोर उपाध्याय	2643
जिला भोजपुर में महिला साक्षरता दर के परिवर्तनशील स्थानिक वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण-अनिल कुमार शर्मा	2648
भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसका स्थानीय स्वर: गोरखपुर के विशेष सन्दर्भ में-दिलीप कुमार राय; प्रो० संतोष कुमार	2654
भारत के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल का महत्व-प्रभु दयाल जयंत	2659
जातक कथाओं में वर्णित व्यापारिक केन्द्र एवं व्यापार व्यवस्था-रेशमा खातून	2663
शिक्षा के विकास महात्मा का गाँधी योगदान-डॉ० कमल प्रसाद बौद्ध	2666
सामाजिक एवं राजनैतिक विकास में डॉ० बी. आर. अम्बेडकर का योगदान-उपेन्द्र कुमार दास	2671
राजनीति विज्ञान में तथ्य-मूल्य विवाद-डॉ० धीरेन्द्र त्रिपाठी	2677
बालिका शिक्षा: अनुसूचित जनजातीय के संदर्भ में-एमलिन केरकेट्टा	2682
वर्ण व्यवस्था के विघटन का आर्थिक कारण-डॉ० त्रयम्बकेश्वर कुमार	2685
अरुण प्रकाश की संघष-यात्रा-कोमल कुमारी	2689
भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर-डॉ० अनिल विठ्ठल बाविस्कर	2693
स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास में योगदान-डॉ० परीक्षित लायेक	2697
जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियाँ-इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिस्थितियों का एक भौगोलिक अध्ययन -डॉ० जोगेन्द्र सिंह खोखर	2702
'ऐ लड़की' उपन्यास में स्त्री विमर्श-नदीम अहमद	2710
आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं में आत्म विरूपण-डॉ० दुधनाथ चौधरी	2713
रघुवीर सिंह 'अरविन्द' रचित बुद्ध-चरित महासागर के आधार पर गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण-लक्ष्मण शर्मा	2718

भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर

डॉ० अनिल विठ्ठल बाविस्कर

सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग प्रमुख, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा, महाराष्ट्र

सारांश:

आज भारत में लोकतंत्र के साथ-साथ राजनीतिक लोकतंत्र की शुरुआत के कारण, हालांकि कुछ जाति समूहों को इससे लाभ हुआ है, हम उसी लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इससे देश में सामाजिक वातावरण काफी हद तक प्रदूषित हो रहा है और भारतीय लोकतंत्र में हर जाति समूह की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। डॉ० अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचार के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उस कारण से समाज में असमानता न हो, ऊँच-नीच न हो, समाज में उत्पीड़ित और उत्पीड़क वर्ग न हो, अर्थात् कोई वर्ग न हो, यदि यह वर्ग है तो ऐसे वर्ग में रक्तरीजित क्रान्ति के बीज होते हैं, अतः समाज की खाई लोकतंत्र की सफलता में एक बड़ा पत्थर है। इसे अवश्य ही पार करना चाहिए। आज भारत के लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूंजीपतियों की एक नई जमात के उदय के कारण जनप्रतिनिधियों पर पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ने से राजनीतिक संस्थाओं और न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रणाली। इसलिए, आज नए भारत के निर्माण के लिए बाबासाहेब के वैचारिक योगदान को कोई भी कम नहीं कर सकता है, इसलिए आज देश के विकास के लिए अम्बेडकर के विचारों की व्यावहारिक नींव को मजबूत करना आपके लिए आवश्यक है, तभी डॉ० इसमें कोई संदेह नहीं है कि अम्बेडकर की कल्पना के अनुसार भारतीय लोकतंत्र गहराएगा।

परिचय:

स्वयं डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक चिंतन का केंद्र बिंदु है। इसीलिए डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी जिसने रक्त के माध्यम से लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाए। यद्यपि जनता का शासन सरकार के सभी रूपों में सरकार का सबसे अच्छा रूप है, उन्हें भारत में लोगों की सफलता के बारे में संदेह था, जो अंधविश्वासों, रीति-रिवाजों और परंपराओं की गहराई में जकड़ा हुआ था। क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के सिद्धांतों पर बनी विचारधारा को स्वीकार करते हुए भारत के इतिहास, प्रचलित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक सफल लोकतंत्र, सामाजिक एकता, एक प्रभावी विपक्ष के लिए आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष में लोकप्रियता, राजनीति में नैतिकता, कानून के समक्ष समानता के मुद्दे पर सद्भाव का माहौल, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने नहीं देखा। फिर भी, लोकतंत्र समाज और दलितों, मजदूरों, महिलाओं, समाज के मेहनती सदस्यों के विकास के लिए उपयोगी है। इसलिए साथ ही लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समाज में जागरूकता का व्यापक स्तर पर होना आवश्यक है, अतः सामाजिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक प्रबोधन आवश्यक था, इसीलिए जाति व्यवस्था को हिला देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। भारत में आज लोकतंत्र के साथ-साथ राजनीतिक लोकतंत्र भी आ गया है, हालांकि कुछ जाति समूहों को इसका लाभ मिला है। इस लोकतंत्र

के साथ-साथ हम सामाजिक और गैर-लोकतंत्र लाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इस वजह से आज देश में सामाजिक प्रत्येक जाति समूह के सदस्यों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कठिन होता जा रहा है। आज सामाजिक और जातिगत ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज होगई है।

आज देश में सबके मन में असुरक्षा की भावना है। इसलिए आज भारतीय लोकतंत्र एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अम्बेडकर जिस लोकतंत्र की आशा करते थे, उसके लिए वे कहते हैं, जब तक ब्रिटिश सरकार थी, हम अपने देश में अ-बुरे की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे थे, लेकिन अब जब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी हमारा होगा, अब हमें और जिम्मेदारी से काम लेना होगा। लेकिन देश की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखते देखा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र आज भी दफन है। डॉ. अम्बेडकर जाता है। लोकतंत्र पर अम्बेडकर के विचार और आज उस विचार की प्रासंगिकता क्रमिक हो जाता है।

शोध निबंध के उद्देश्य:

- 1) डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचारों का अध्ययन करना।
- 2) भारतीय लोकतंत्र के संबंध में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
- 3) भारतीय लोकतंत्र के परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध निबंध परिकल्पना :

- 1) भारतीय लोकतंत्र आज बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
- 2) आज भारतीय लोकतंत्र का चेहरा काफी हद तक बदलता नजर आ रहा है।
- 3) भारतीय लोकतंत्र में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों को बल मिलता नहीं दिख रहा है।

अनुसंधान क्रियाविधि:

यह शोध प्रबंध वर्णनात्मक ढंग से किया गया है। इस शोध निबंध में प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र की स्थिति में परिवर्तन पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों का उपयोगी हैं, इसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है।

लोकतंत्र और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर:

डॉ. जैसा कि अम्बेडकर लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र की उनकी अवधारणा राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अवधारणा से अधिक व्यापक है। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र का भविष्य लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करेगा। इसलिए, उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र के बारे में उनका कहना है कि यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जो रक्तपात का सहायता के लिए बिना लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाती है, लेकिन उसका भविष्य उसके कार्यों पर निर्भर करेगा। मई 1956 में डॉ. वॉयस ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर व्याख्यान देते हुए अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र या संसदीय सरकार नहीं दिया जाता है। कहा जाता है भारत के इतिहास और संस्कृति को देखते हुए भारत में लोकतंत्र विकसित नहीं हुआ है, लेकिन लोकशाही यूरोपीय देशों के विकास के माध्यम से भारत में आई है। तो हमारे देश में लोकतंत्र कैसे सफल होगा? उनका दर्शन लौकिक लोकतंत्र के विकास और विचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है।

डॉ. अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचार के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए उसके लिए वे कहते हैं कि समाज में असमानता नहीं होनी चाहिए, ऊंच-नीच नहीं होनी चाहिए, समाज में उत्पीड़ित और उत्पीड़ित वर्ग यानी गरीब और गरीब नहीं होना चाहिए। अतः समाज में व्याप्त खाई लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ा पत्थर है। इसे पारित करने की जरूरत है। क्योंकि विश्व में लोकतंत्र के इतिहास पर नजर डालें तो सामाजिक एकता के अभाव में लोकतंत्र नष्ट हुआ

है। इसलिए भारत में जाति आधारित समाज में सर्वप्रथम ज्ञात और अस्पृश्यता के कारण सामाजिक विषमता को मिटाना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों के रूप में सत्तारूढ़ पार्टी के बजाय विपक्ष का अस्तित्व लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृढ़ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि विपक्षी दल ही सत्ताधारी दल को सत्ता में ला सकते हैं। इसलिए विरोधी दल को सदैव विवेक की भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। अम्बेडकर की राय। साथ ही, एक और बात जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, वह यह है कि नैतिकता पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ते हुए सभी को नैतिकता का उच्च स्तर रखना चाहिए। साथ ही, उच्च स्तर की नैतिकता विवेक के साथ होनी चाहिए। तभी सभी को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर पता चलेगा, इसलिए वे हमेशा न्याय के पक्ष में रहेंगे, इसलिए लोकतंत्र में कानून के सामने सभी समान होंगे। इसलिए लोकतंत्र में कोई भी अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, इसलिए बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कुचला नहीं जा सकता, इसलिए न्याय की भूमिका तभी विकसित होगी, जब बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच समझ का माहौल बनेगा।

भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति:

लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भारत के संघर्ष में अम्बेडकर की भूमिका को देखते हुए आज भारतीय लोकतंत्र में अम्बेडकर के विचारों की विरासत को हड़पने की प्रवृत्ति काफी मजबूत हो गई है। यद्यपि नए भारत के निर्माण में बाबासाहेब का वैचारिक योगदान असामान्य है, क्योंकि बाबासाहेब के बाद आज उनके विचारों की व्यापक रूप से आलोचना हो रही है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा ने प्रगति के देश में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में साम्राज्यिकता का जोर आज वैचारिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी अस्थिरता पैदा होने के कारण काफी हद तक बढ़ गया है, अज्ञानता काफी हद तक बढ़ गई है। इसलिए देखा जा रहा है कि आज सामाजिक समरसता, एकता खतरे में है। इसलिए आज बहुसंख्यकों के बड़े-बड़े हमले अल्पसंख्यकों को उदासीन बना देने के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि बहुसंख्यकों के बारे में सच्ची और दृढ़ राय व्यक्त करने वालों को देशद्रोही माना जाता है और बहुसंख्यकों के विचारों से समानता दिखाने वालों को देशभक्त माना जाता है। इसलिए आज भारतीय लोकतंत्र में विचारधारा, नैतिकता और विवेक खतरे में है। साथ ही, शक्ति केंद्र के बाहर एक नया शक्ति केंद्र बनने के कारण, शक्ति केंद्र बाहरी शक्ति केंद्र द्वारा शक्ति केंद्र के रिमोट कंट्रोल के अधीन है, और भारतीय लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वह इसके माध्यम से सत्ता चलाए रिमोट कंट्रोल। यद्यपि शिक्षा और रोजगार के माध्यम से आज भारतीय लोकतंत्र में नया नेतृत्व उभर रहा है, लेकिन उस नेतृत्व की सीमाएं आज उजागर हो रही हैं। आज भारतीय लोकतंत्र में पूंजीपतियों के एक नए वर्ग के उदय के कारण भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूंजीपतियों के उदय के कारण राजनीतिक संस्थाओं और न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही राजनीति और धर्म के एकीकरण को देखते हुए आज भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक ध्रुवीकरण की गति बढ़ने से लोकतंत्र पर धर्म की जीत देखी जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पर हावी होने के लिए समझौते और प्रतिस्पर्धा की राजनीति में वृद्धि के कारण आज अम्बेडकर को भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो शंकाएँ थीं, वे बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। आरक्षण की शंका आज एक बड़ी बाधा बनती जा रही है, इससे वंचितों की उम्मीदों और उम्मीदों पर पानी फिरने लगा है।

आज भारतीय लोकतंत्र में वंशानुक्रम और परंपरा पर आधारित पारिवारिक शासन भी लोकतंत्र की सफलता में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार कुछ हद तक सीमित नजर आता है, इसलिए हालांकि लोकतंत्र में वंशवाद थोपना गलत है, लेकिन वंशवाद आज भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। आज किसानों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़ी जातियों, लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को दबाया जा रहा है और भारतीय लोकतंत्र को पूंजीवाद के हितों में उलझा दिया गया है। फासीवादी विचारधारा विपक्ष को दबाने के लिए जोर पकड़ रही है। साथ ही सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी गला घोटने की कोशिश कर रही है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र आज खतरे में नजर आ रहा है, लेकिन लोकतंत्र की इस परीक्षा की घड़ी में भारतीय लोग गहरे विचारक हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का ऐसे कठिन समय में परीक्षण किया गया है, यह शांतिपूर्ण तरीके से, रक्तहीन क्रांति के माध्यम से दुनिया को शून्य से बना सकता है, और यह दुनिया से शून्य भी ला सकता है। इसलिए भारत दूसरे देशों के लिए लोकतंत्र का मार्गदर्शक बन रहा है, इसका श्रेय डॉ. अम्बेडकर के पास जाता है। इसलिए वर्तमान स्थिति में भारतीय लोकतंत्र को पुनर्गठित करने के लिए और डॉ. अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचारों के आकाश में उड़ने के लिए आज भारतीय लोकतंत्र फिर से डॉ. यह निश्चित है कि हमें अम्बेडकर की सोच की ओर मुड़ना होगा।

प्रश्न

एक संख्या के विभाजन से प्राप्त दो भागों का योग 100 है और उनका अंतर 20 है। इन दोनों भागों का गुणनफल ज्ञात करें।

उत्तर

- 1. एक संख्या (x) को दो भागों में विभाजित करने पर एक भाग (y) प्राप्त होता है।
- 2. दूसरा भाग (100 - x) है।
- 3. इन दोनों भागों का अंतर 20 है।
- 4. इन दोनों भागों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण हल करना पड़ेगा।